कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक:-26-03-2025

विषयः-"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्त अनुराग गुप्ता को दुष्कर्म/मारपीट/पाक्सो के मामले मे 03 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास व कुल 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-चौक में पंजीकृत मु0अ0सं0- 246/17 धारा-354ए, 504,506 भादवि व 7/8 व 11(v) पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त **अनुराग गुप्ता उर्फ अन्नू गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता उर्फ पुजारी निवासी एस-23/113 ढेलवरिया थाना जैतपुरा वाराणसी** को थाना चौक पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 26-03-2025 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायालय पाक्सो-II जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त अनुराग गुप्ता उर्फ अन्नू गुप्ता उपरोक्त को धारा-7/8 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 03 वर्ष व 6 माह के सश्रम कारावास व 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न दिये जाने की दशा में अभियुक्त को 10 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
जोन-काशी कमिश्नरेट-
वाराणसी